प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

जुलाई 29, 2025

'सेल में इन्वेंट्री प्रबंधन' पर सीएजी रिपोर्ट संसद में पेश

'सेल में इन्वेंट्री प्रबंधन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा पर सीएजी की रिपोर्ट पर संसद में प्रस्तुत प्रेस संक्षिप्त

'सेल में इन्वेंट्री प्रबंधन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट (2025 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 10) आज संसद में प्रस्तुत की गई।

प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं।

इन्वेंट्री प्रबंधन

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने कच्चे माल, अर्ध-तैयार माल और तैयार माल की प्रति टन इन्वेंट्री वहन लागत के लिए कोई मानक निर्धारित नहीं किया था, जबकि 2016-17 से 2022-23 के दौरान औसतन उसके पास ₹21,698 करोड़ की इन्वेंट्री थी, जो उसकी वर्तमान परिसंपत्तियों का लगभग 67 प्रतिशत है। **(पैरा 3.2)**

सेल लौह अयस्क, कोक, सिंटर जैसे कच्चे माल के स्टॉक स्तर को बनाए रखने में विफल रहा, जिसके कारण ब्लास्ट फर्नेस को ऑफ-ब्लास्ट स्थिति में रखा गया, जिसके परिणामस्वरूप राउरकेला, बोकारो और दुर्गापुर स्टील प्लांट में 9.32 लाख टन हॉट मेटल का उत्पादन करने और ₹1,231.52 करोड़ का संभावित राजस्व अर्जित करने में असमर्थता हुई। **(पैरा 3.3)**

सेल गैर-चलती इन्वेंट्री के मानदंडों को बनाए नहीं रख सका क्योंकि गैर-चलती इन्वेंट्री सेल में कुल इन्वेंट्री के 6.10 प्रतिशत से 8.38 प्रतिशत के बीच थी, जो 2016-17 से 2022-23 के दौरान कुल इन्वेंट्री के तीन प्रतिशत के मानदंड से हमेशा अधिक थी। सेल संयंत्रों में स्टोर और पुर्जों की कुल गैर-चलती इन्वेंट्री 2016-17 में ₹137.40 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹212.57 करोड़ हो गई, जो ₹75.17 करोड़ (55 प्रतिशत) की वृद्धि दर्शाती है। आवश्यकता पर विचार किए बिना इन्वेंट्री की अत्यधिक खरीद के परिणामस्वरूप गैर-चलती वस्तुओं में पूंजी अवरुद्ध हो गई। **(पैरा 3.4.2)**

इन्वेंटरी की खरीद

सेल के इस्पात संयंत्रों ने 2016-2023 के दौरान 9.71 प्रतिशत मामलों में संबंधित विभाग द्वारा मांगपत्र जारी करने और खरीद आदेश जारी करने के बीच निर्धारित छह महीने (186 दिन) के समय से अधिक समय लिया। **(पैरा 4.2)**

सेल ने मौजूदा ईंधन आपूर्ति समझौतों के तहत अन्य आपूर्तिकर्ताओं से सस्ता कोयला उपलब्ध होने के बावजूद, 2020-21 में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड से ईंधन आपूर्ति समझौते की मात्रा (0.48 मिलियन टन) का 152.73 प्रतिशत उठाया। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड से 0.17 मिलियन टन कोयले की अतिरिक्त खरीद के परिणामस्वरूप ₹4.65 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ। **(पैरा 4.3.1)**

कच्चे माल की खपत

सेल इस्पात संयंत्रों ने प्रबंधन द्वारा निर्धारित मानदंडों से अधिक आयातित कोयले की खपत की। स्वदेशी कोयले की तुलना में महंगे आयातित कोयले की अधिक खपत के परिणामस्वरूप 2016-2023 के दौरान ₹2,539.68 करोड़ तक का संभावित अतिरिक्त व्यय हुआ। **(पैरा 5.2)**

भिलाई और राउरकेला इस्पात संयंत्रों के सिंटर संयंत्रों में चूना पत्थर, डोलोमाइट और लौह अयस्क चूर्ण की खपत मानदंडों से अधिक थी, जिसका मूल्य ₹349.39 करोड़ था। विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात संयंत्र और सेलम इस्पात संयंत्र में, ₹66.46 करोड़ मूल्य के हल्के डीजल तेल, फर्नेस तेल और एलपीजी की खपत कंपनी द्वारा निर्धारित मानदंडों से अधिक थी। **(पैरा 5.3)**

बोकारो इस्पात संयंत्र में पारंपरिक लैडल कार के स्थान पर टॉरपीडो लैडल कार लगाने में देरी के कारण पिघले हुए लोहे को ब्लास्ट फर्नेस से स्टील मेल्टिंग शॉप तक पहुँचाने में दो से तीन प्रतिशत की तुलना में 3.03 से 4.54 प्रतिशत तक की पारगमन हानि हुई। इसके परिणामस्वरूप ₹400.76 करोड़ मूल्य की हॉट मेटल की पारगमन हानि में कमी का अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं हो सका। **(पैरा 5.6)**

इन्वेंटरी की बिक्री और निपटान

सेल के पाँच एकीकृत इस्पात संयंत्र 2016-2023 की अवधि के लिए वार्षिक व्यावसायिक योजना में परिकल्पित 119.66 मिलियन टन विक्रय योग्य इस्पात के उत्पादन लक्ष्य का 106.15 मिलियन टन (89 प्रतिशत) उत्पादन कर सके। इन इस्पात संयंत्रों द्वारा क्षमता उपयोग 77 प्रतिशत (2020-21) और 89 प्रतिशत (2022-23) के बीच रहा। **(पैरा 6.2)**

कुल 106.15 मिलियन टन विक्रय योग्य इस्पात के उत्पादन और केंद्रीय विपणन संगठन द्वारा 121.86 मिलियन टन के लिए बुक किए गए ऑर्डरों के मुकाबले, संयंत्रों से प्रेषण केवल 93.75 मिलियन टन था, अर्थात बुक किए गए ऑर्डरों का 77 प्रतिशत। ग्राहकों की आवश्यकता से कम सामग्री प्रेषण के कारण स्टॉक के परिसमापन में देरी हुई और इस्पात संयंत्रों में पड़े स्टॉक पर इन्वेंटरी वहन लागत में वृद्धि हुई। **(पैरा 6.2 & 6.3)**

सेल ने 2016-17, 2017-18, 2019-20 और 2021-22 के दौरान वार्षिक व्यापार योजना में परिकल्पित की तुलना में 0.50 मिलियन टन अधिक सेमी का निर्यात किया। सेमी के निर्यात में सेल की बाजार हिस्सेदारी 21 प्रतिशत थी, जबकि कुल निर्यात में इसकी बाजार हिस्सेदारी आठ प्रतिशत थी। अधिक मात्रा में सेमी के निर्यात के परिणामस्वरूप ₹ 176.99 करोड़ का राजस्व अर्जित करने के अवसर का संभावित नुकसान हुआ है क्योंकि 2016-23 के दौरान तैयार स्टील के निर्यात से सेमी के निर्यात की तुलना में अधिक योगदान प्राप्त हुआ। **(पैरा 6.4(i)&(ii))**

2016-17 से 2022-23 के दौरान लक्ष्य से अधिक पिग आयरन का उत्पादन होने के परिणामस्वरूप ₹ 1,022.15 करोड़ का संभावित राजस्व अर्जित करने में असमर्थता हुई है। यदि इस्पात संयंत्रों ने समय पर हॉट मेटल को विक्रेय इस्पात में परिवर्तित करने की अपनी क्षमता बढ़ाई होती, तथा पिग आयरन बनाने के स्थान पर हॉट मेटल को विक्रेय इस्पात में परिवर्तित किया होता, तो संयंत्रों को संभावित रूप से अधिक राजस्व प्राप्त हो सकता था, क्योंकि पिग आयरन की तुलना में विक्रेय इस्पात का योगदान अधिक था। **(पैरा 6.5)**

तीन विशेष इस्पात संयंत्रों अर्थात मिश्र धातु इस्पात संयंत्र, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट और सेलम स्टील प्लांट में बिना किसी ऑर्डर/अतिरिक्त उत्पादन के सामग्री का उत्पादन करने के परिणामस्वरूप मार्च 2023 तक पांच वर्षों से अधिक समय के लिए ₹ 119.26 करोड़ मूल्य की इन्वेंट्री अवरुद्ध हो गई। **(पैरा 6.8)**

भारत सरकार ने (सितंबर 2019) सेल को खदानों के गड्ढे में पड़े घटिया खनिजों को बेचने की अनुमति दे दी, बशर्ते कि बाज़ार में लौह अयस्क की उपलब्धता बनाए रखने और कैप्टिव खदानों से निकाले गए खनिज का पूरा मूल्य प्राप्त करने के आर्थिक औचित्य पर विचार करने हेतु संबंधित राज्य सरकारों से अपेक्षित अनुमति ली जाए। जहाँ ओडिशा और छत्तीसगढ़ सरकारों ने बिक्री की अनुमति दे दी थी, वहीं झारखंड सरकार ने आज तक (मार्च 2024) इसकी अनुमति नहीं दी है। सेल मार्च 2023 तक उपलब्ध 43.17 मिलियन टन घटिया लौह अयस्क चूर्ण में से केवल 1.62 मिलियन टन का ही निपटान कर सका, जिससे ₹3995.75 करोड़ मूल्य का 41.55 मिलियन टन घटिया लौह अयस्क चूर्ण बिना निपटाए रह गया। **(पैरा 6.12B)**

31 मार्च 2023 तक दल्ली और बरसुआ खदानों में ₹ 492 करोड़ मूल्य का 102.72 लाख टन टेलिंग फाइन्स/स्लाइम पड़ा हुआ था। इसके अलावा, बोलानी, किरीबुरू और मेघाहाटाबुरु लौह अयस्क खदानों में 116.85 लाख टन टेलिंग फाइन्स/स्लाइम जमा था और उसका निपटान नहीं किया गया था।

(पैरा 6.12B)

इस्पात संयंत्रों में लिंज़-डोनाविट्ज़ स्लैग का बहुत कम उपयोग होने के कारण, राउरकेला इस्पात संयंत्र में स्लैग बड़ी मात्रा में जमा हो गया था। 31 मार्च 2023 तक राउरकेला इस्पात संयंत्र में कुल अप्रसंस्कृत लिंज़-डोनाविट्ज़ स्लैग 29.64 लाख टन था। लिंज़ डोनविट्ज़ स्लैग में निहित निष्कर्षण योग्य लौह और इस्पात स्क्रैप का भंडार 0.56 लाख टन था, जिसका मूल्य ₹56.14 करोड़ था। भिलाई इस्पात संयंत्र ने ब्लास्ट फर्नेस स्लैग में निहित ₹326.59 करोड़ मूल्य के 4.14 लाख टन लौह स्क्रैप का मूल्यांकन किया। 31 मार्च 2023 तक अप्रयुक्त मात्रा ₹404.21 करोड़ मूल्य के 4.08 लाख टन थी, जिसके परिणामस्वरूप धनराशि अवरुद्ध हो गई। स्टॉक को समाप्त करने के लिए समयबद्ध कार्य योजना के अभाव में, पिछले कुछ वर्षों में लिंज़-डोनाविट्ज़ स्लैग की बिक्री/उपयोग बहुत कम हुआ और स्टॉक साल दर साल बढ़ता गया। (**पैरा 6.12C)**

बोकारो स्टील प्लांट द्वारा प्रदान किए जाने वाले ब्लास्ट फर्नेस स्लैग की बिक्री के लिए सेल द्वारा किए गए समझौते में खरीदार के पक्ष में गलत मूल्य निर्धारण कंपनी के वित्तीय हितों के लिए हानिकारक था। कम दर पर स्लैग की बिक्री के परिणामस्वरूप 2015 से 2023 के दौरान ₹441.40 करोड़ का राजस्व अर्जित करने में असमर्थता रही। 2009-14 के दौरान स्लैग का बाजार मूल्य ₹500 और ₹1,220 प्रति टन के बीच था, जबकि समझौते में प्रदान की गई दर ₹336.65 और ₹444.24 प्रति टन के बीच थी। (**पैरा 6.12F)**

आईटी प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण तंत्र

सेल के सभी पाँच एकीकृत इस्पात संयंत्रों ने एसएपी-ईआरपी प्रणाली लागू कर दी है, हालाँकि, सेल की सभी इकाइयों/कार्यालयों में इसे अभी लागू किया जाना बाकी है। इसके अलावा, प्रत्येक संयंत्र में आईटी प्रणालियाँ अलग-अलग चल रही थीं, जिसके कारण विभिन्न नियंत्रण समस्याएँ उत्पन्न हुईं, जैसे कच्चे माल के स्टॉक पर वास्तविक समय के आंकड़ों की अनुपलब्धता, केंद्रीकृत विक्रेता डेटाबेस का अभाव और एसएपी-ईआरपी प्रणाली में मैन्युअल हस्तक्षेप आदि। (**पैरा 7.1.1)**

केंद्रीय विपणन संगठन के स्टॉक सत्यापन संबंधी दिशानिर्देशों में निर्धारित अनुसार स्टॉक सत्यापन रिपोर्ट तैयार नहीं की गई थी। 49 स्टॉकयार्डों में से 46 में, नीति में निर्धारित अनुसार, 2016-17 से 2022-23 के दौरान एक या अधिक वर्षों में, अर्धवार्षिक आधार पर स्टॉक सत्यापन नहीं किया गया था। इनमें से 10 स्टॉकयार्डों में, इस अवधि के दौरान स्टॉक सत्यापन बिल्कुल भी नहीं किया गया था।

(पैरा 7.1.6)